

आदेश ब इजालास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 246/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड पता-तृतीय तल, जे एस ई एल बिल्डिंग, मालवीय नगर,  
जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

(1) शिमला बोस

पता (1)47/13, तृतीय तल, अशोक नगर, तिलक नगर पुलिस स्टेशन के पास, दिल्ली

(2) प्लॉट नम्बर 202, द्वितीय तल, खसरा नम्बर 185, कोरल अरिहन्त हाइट्स, ग्राम रामजीपुरा,  
तहसील सांगानेर, जयपुर ।

(3) पार्क हॉस्पिटल, 12 गीरा एन्क्लेव चौक, केशोपुर बस डिपो के पास, बाहरी रिंग रोड, दिल्ली

(2) स्वप्न कुमार बोस,

पता (1). 47/13, तृतीय तल, अशोक नगर, तिलक नगर पुलिस स्टेशन के पास, दिल्ली,

(2). प्लॉट नम्बर 202, द्वितीय तल, खसरा नम्बर 185, कोरल अरिहन्त हाइट्स, ग्राम  
रामजीपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर ।

(3). पार्क हॉस्पिटल, 12 गीरा एन्क्लेव चौक, केशोपुर बस डिपो के पास, बाहरी रिंग रोड,  
दिल्ली।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर




The application under section 14 of the Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security  
Interest Act, 2002

उपस्थित :- श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 22.02.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.08.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी शिमला बोस के स्वागित्त की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 202, द्वितीय तल, प्लॉट नम्बर बी, खसरा नम्बर 185, कोरल अरिहन्त हाइट्स, ग्राम रामजीपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर कुल क्षेत्रफल 1033 वर्गफिट को बन्धक रख कर कुल रुपये 25,19,750/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.08.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

Interest Act 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इतदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का बलीगति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 सितम्बर 2017 का सरकारी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान बैंक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी को 25,19,750/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिपूर्ति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त दर्जित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 25,17,131/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.08.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी शिमला बस के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नम्बर 202, द्वितीय तल, फ्लैट नम्बर बी, खसरा नम्बर 185, कोरल अरिहन्त हाइटस, ग्राम रामजीपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर कुल क्षेत्रफल 1033 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबन्धित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर संश्लिप्त दफतर हो।



आदेश आज दिनांक 22.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

*(राजन विशाल)*

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर